**अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2020 (GCMS 2020/00109) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (48F-310129) बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**22.03.2021**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2020 के द्वारा चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए दोषीगण के विरूद्ध सूचना उपलब्ध न करवानेके आधार पर विभगाय कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

**अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

**आपके पत्रांक एफ37(3)(44)RTI/निर्वा/2019/1388 दिनांक 03.03.2020 के सम्बन्ध में –**

**आपके पत्रांक उपरोक्त के पैरा संख्या 3 में अंकित राय कि आप द्वारा (प्रार्थी द्वारा) सूचना का आधार काल्पनिक है। लोक सूचना अधिकारी से कानून व नियमों पर उसकी राय जानना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कवर नही होता है।**

**1 प्रार्थी के पत्रांक 05.02.2020 में अंकित सूचना के आधार के अन्तर्गत मांगी गई सूचना में बिन्दु संख्या पांच में जो तथ्य काल्पनिक है उस बिन्दु की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. सूचना के अधिकार आये नियम की वह धारा जिसके अन्तर्गत प्रार्थी के पत्रांक 05.02.2020 व आई.पी.ओ. नं. 46एफ–988793 में जो तथ्य वांछित सूचना के काल्पनिक है उस तथ्य की सूचना व उस तथ्य के काल्पनिक होने की प्रमाणित प्रति व सूचना।
3. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 05.02.2020 में वांछित सूचना के वे तथ्य व दस्तावेज सबूत जिनमें प्रार्थी द्वारा कानून व नियमों की राय मांगी है, उनकी सूचना व दस्तावेजों व नियमों की प्रमाणित प्रतियां।
4. प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना दिनांक 05.02.2020 में वांछित सूचना में जो दस्तावेजी तथ्य काल्पनिक है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

**लोक सूचना अधिकारी** एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(48)(RTI)निर्वा/2019/1473 दिनांक 07.04.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रा. पत्र दिनांक 11.03.2020 (इस कार्यालय को दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त) के माध्यम से नियमों के परिप्रेक्ष्य में/कार्यालयी व्यवस्था/प्रक्रिया पर प्रश्न का सूचना की व्याख्या/राय चाही गयी है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधीन कार्यालय स्तर पर पूर्व से संधारित रिकॉर्ड/पत्रावली/नोटशीट आदि से नकलें/प्रतिलिपियां जारी की जाती है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, रूख, राय व्यक्त करना, नियमों

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या, निर्णय की अपेक्षा करना, कार्यवाहियों के लिएअनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f, I, j) सूचना की परिभाषा के अन्तर्गत कवर नहीं होता है।

आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 4 में चाही गई सूचना प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.22(16)प्रसु/सूआप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 द्वारा जारी निर्देश/प्रश्न–10 के अन्तर्गत, "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है एवं निदेशक, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/2/2008–आईआर दिनांक 10.07.2008 के अन्तर्गत "सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री में से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गये निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।"

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**सूचना मांगने की आड में लोक प्राधिकारी से कानून एवं नियमों पर उसकी राय जानना सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कवर नहीं होता है। (सी.आई.सी./एटी/ए/2006/00154 दिनांक 03.11.2006) आर.के. मिर्ग बनाम गृह मंत्रालय)**

**उक्त निर्देशों के अनुसरण में आपके आवेदन में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 4 से संबंधित सूचना के संबंध में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2020 अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।**

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

**चूंकि अपीलार्थी द्वारा** चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 07.04.202 से जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 07.04.2020 से दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(महावीर प्रसाद वर्मा)**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर